बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(A STATE UNIVERSITY)
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494001
Phone 07782-229037, Fax 07782-229037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक / 575 /अका./ब.वि.वि./2020 जगदलपुर, दिनांक 24/08/2020

//कार्यपरिषद बैठक का कार्यवाही विवरण//

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्यपरिषद की 28वीं बैठक दिनांक 20.08.2020 को अपरान्ह 12.00 बजे विश्वविद्यालय के सभाकक्ष में आहूत की गई। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से उक्त तिथि एवं समय में आयोजित बैठक में जिला–बस्तर/जगदलपुर मुख्यालय में निवासरत निम्नलिखित सदस्य उपस्थित होकर बैठक में सम्मिलित हुए तथा शेष सदस्य जो जिला–बस्तर/जगदलपुर मुख्यालय से बाहर/अन्य जिले में निवासरत हैं, वह निर्धारित बैठक तिथि एवं समय अनुसार विडियो कॉन्फ्रेसिंग (Google Meet App) के माध्यम से बैठक में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हुए :–

बैठक में उपस्थित सदस्य

1.	प्रोफेसर शैलेन्द्र कुमार सिंह , कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	अध्यक्ष
2.	डॉ. व्ही. विजयलक्ष्मी मूर्ति, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, बकावंड वर्तमान पदस्थापना शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	प्राचार्य – सदस्य
3.	डॉ. के. इंदिरामूर्ति, प्राध्यापक शास. काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर	संकायाध्यक्ष – सदस्य
4.	डॉ. व्ही.के.पाठक, कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर	सचिव

गूगल मीट के माध्यम से सम्मिलित सदस्य

5.	माननीय श्री रेखचंद जैन, विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 86 जगदलपुर	विधानसभा सदस्य
6.	माननीय श्री विक्रम मंडावी, विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर	विधानसभा सदस्य

24 AUG 2020

7. डॉ. आर.के. हिरकने, प्राध्यापक — संकायाध्यक्ष – सदस्य
शास. दन्तेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

8. श्री आई.पी.तिवारी, प्राचार्य — प्राचार्य – सदस्य
श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर

9. डॉ. ए.के. दीक्षित, प्राध्यापक — संकायाध्यक्ष – सदस्य
शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्नम

आमंत्रित सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की गई। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

विषय क्रमांक –1

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के 26वीं एवं 27वीं बैठक के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय –

सर्वसम्मति से सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक –2

दिनांक 20/08/2020 को आयोजित विद्यापरिषद बैठक में विचार हेतु रखे गये प्रस्ताव एवं विषयों पर लिए गये निर्णयों का अनुमोदन।

निर्णय –

सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –3

विश्वविद्यालय सेमेस्टर परीक्षा माह जुलाई 2020 में आयोजित होने वाले अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर के परीक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती किया गया है तथा अन्य शुल्कों को यथावत रखा गया है। उक्त कार्य की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदाय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप –

कोविड–19 महामारी के कारण उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन का पत्र क्रमांक एफ 3–33/2020/38–1: नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 01.06.2020 के कंडिका (1) के अनुसार अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर का परीक्षा आयोजन नहीं किया जाना है। चूँकि परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम विगत वर्ष के परिणाम/आतंरिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जब तक ऑनलाईन परीक्षा आवेदन परीक्षार्थियों द्वारा परिपूरित नहीं किया जायेगा तब तक विषय/प्रश्नपत्रवार आतंरिक/प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांको को ऑनलाईन एन्ट्री करने तथा परीक्षा परिणाम तैयार करने में भी असुविधा होगी।

24 AUG 2020

अतः उपर्युक्त परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुये सभी कक्षाओं/सेमेस्टर का ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किया गया है। जिन कक्षाओं का परीक्षा आयोजन नहीं होना है उक्त कक्षाओं का परीक्षा शुल्क नहीं लिये जाने का अभ्यावेदन परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में कुलपति महोदय के अनुमोदनानुसार माह जुलाई 2020 में आयोजित होने वाले अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य कक्षाओं/सेमेस्टर के केवल परीक्षा शुल्क में 50 प्रतिशत कटौती किया गया है तथा अन्य शुल्कों को यथावत रखा गया है।

निर्णय –

सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –4

उपाधि शुल्क को परीक्षा शुल्क से पृथक करते हुये उपाधि के लिए आवेदन करने पर तद्समय प्रचलित शुल्क अनुसार उपाधि शुल्क लिये जाने संबंधी प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप

विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण सभी स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा परीक्षार्थियों को उपाधि प्रदान किया जाता है। परीक्षार्थियों को उपाधि प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन की सुविधा एवं डाक से उपाधि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तथा अत्यावश्यक होने पर छात्र/छात्राएँ विश्वविद्यालय में आकर उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। समय–समय पर परीक्षा/उपाधि शुल्क में संशोधन किया जाता रहा है। तथा भविष्य में भी संशोधन किये जाने की संभावना है। परीक्षा शुल्क एवं उपाधि शुल्क एक साथ लिए जाने से शुल्क वृद्धि होने पर उपाधि शुल्क वर्तमान एवं पूर्व वर्षों के लिए अलग–अलग होती है उपाधि शुल्क में संशोधन किये जाने से विगत वर्षों के लिए अलग–अलग शुल्क संरचना होने के कारण उपाधि प्रारूप मुद्रण लागत भी विगत वर्षो की अपेक्षा अगामी वर्षों के लिए भिन्न हो जाती है। परीक्षार्थियों द्वारा आवश्यकता होने पर ही उपाधि के लिए आवेदन की जाती है जिससे उपाधि तैयार करने की प्रक्रिया एवं कार्यालयीन प्रक्रिया जटिल हो जाती है। अतः उपाधि शुल्क को परीक्षा शुल्क से पृथक करते हुये उपाधि के लिए आवेदन करने पर तद्समय प्रचलित शुल्क अनुसार उपाधि शुल्क लिया जाना उचित होगा।

निर्णय –

सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

2 4 AUG 2020

विषय क्रमांक –5

शैक्षणिक सत्र 2019–20 में नियमित परीक्षार्थियों का ऑनलाईन नामांकन कार्य कराया गया है, जिसका देयक भुगतान संबंधित फर्म को किया गया है, प्रकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदाय करने संबंधी प्रकरण प्रस्तुत।

विभागीय टीप

विश्वविद्यालय के क्रय–कार्यादेश पत्र क्रमांक/5746/परीक्षा/गोप/भं./ब.वि.वि./2019–20 जगदलपुर दिनांक 22/08/2019 के माध्यम MICS Bhopal द्वारा नियमित परीक्षार्थियों का नामांकन कार्य सम्पन्न कराया गया है। उक्त फर्म का बिल क्रमांक–335 दिनांक 01/12/2019 में कुल GST@18% सहित कुल राशि 1,08,552/–(एक लाख आठ हजार पॉच सौ बावन रूपये) भुगतान किया गया है।

निर्णय –

प्रस्ताव मान्य करते हुए किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक –6

मुख्य/सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2019–20 का Result Processing का कार्य MICS Bhopal द्वारा किया गया है जिसका प्राप्त देयकों का परीक्षण करते हुए नियमानुसार संबंधित फर्म को राशि रू. 14,94,470/– (चौदह लाख, चौरानबे हजार, चार सौ, सत्तर) भुगतान किया गया है, जिसका कार्योत्तर स्वीकृति प्रदाय करने संबंधी प्रकरण प्रस्तुत।

विभागीय टीप

विश्वविद्यालय के क्रय–कार्यादेश पत्र क्रमांक/5746/परीक्षा/गोप/भं./ब.वि.वि./2019–20 जगदलपुर दिनांक 22/08/2019 के माध्यम MICS Bhopal द्वारा मुख्य/सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2019–20 का कार्य सम्पन्न कराया गया है। मुख्य परीक्षा 2019–20 का परीक्षा/गोपनीय (Pre & Post Exam Work Online) कार्य कराया गया है। फर्म MICS Bhopal का Bill No-347 में ICGST@18% सहित कुल राशि 1281286.48/–(बारह लाख, इक्यासी हजार, दो सौ छयासी रू. अडतालीस पैसा) एवं सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2020 परीक्षा/गोपनीय का Pre & Post Exam Work Online Bill No-348 में GST@18% सहित कुल राशि 2,13,183.52/– (दो लाख तेरह हजार एक सौ तिरासी रू. बावन पैसा) कुल योग राशि 1494470.00 (चौदह लाख चौरान्बे हजार चार सौ सत्तर रूपये मात्र) भुगतान किया गया है।

निर्णय –

प्रस्ताव मान्य करते हुए किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति दी गई।

2 4 AUG 2020

विषय क्रमांक –7

एम.सी.ए. अध्ययनशाला, प्रबंधन अध्ययनशाला में संविदा में कार्यरत सहायक प्राध्यापकों एवं बी.एड. अध्ययनशाला में संविदा में कार्यरत व्याख्याताओं की संविदा सेवा अवधि का एक वर्ष के लिये नवीनीकरण किया गया है, प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप –

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में एम.सी.ए. अध्ययनशाला, प्रबंधन अध्ययनशाला एवं बी.एड. अध्ययनशाला में स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्त किये गये कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं को संविदा सेवा अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप प्रथम नियुक्ति आदेश में उल्लेखित शर्तो के अधीन एवं छ.ग. सिविल सेवा (संविदा) नियम, 2012 की कंडिका–11 (2) और कंडिका–4 (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार और उनके कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर लिये गये निर्णयानुसार संविदा सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं की संविदा सेवा अवधि आगामी एक वर्ष के लिये अथवा नियमित नियुक्ति होने की तिथि, जो भी पहले हो, तक माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन पश्चात नवीनीकरण किया गया है।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/435/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 17/07/2020 द्वारा निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों का नवीनीकरण दिनांक 17.07.2020 से किया गया है :–

क्र.	संविदा सहायक प्राध्यापक का नाम	अध्ययनशाला का नाम	प्रथम नियुक्ति तिथि	संविदा सेवा अवधि समाप्ति तिथि	नवीनीकरण तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री अजय सिंह ठाकुर	कम्प्यूटर अध्ययनशाला	17.07.2019	16.07.2020	17.07.2020
2	सुश्री पल्लवी सिंह	कम्प्यूटर अध्ययनशाला	17.07.2019	16.07.2020	17.07.2020
3	श्री दुर्गेश कुमार केशर	कम्प्यूटर अध्ययनशाला	17.07.2019	16.07.2020	17.07.2020
4	कु. ओशीन कुंजाम	कम्प्यूटर अध्ययनशाला	17.07.2019	16.07.2020	17.07.2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/479/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 07/08/2020 द्वारा निम्नलिखित संविदा सहायक प्राध्यापकों/व्याख्याताओं का नवीनीकरण दिनांक 06.08.2020 से किया गया है :–

2 4 AUG 2020

क्र.	संविदा सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता का नाम	अध्ययनशाला का नाम	संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक 02.08.2018 अनुसार प्रथम संविदा नियुक्ति प्रभावशील होने की तिथि	**संविदा सेवा अवधि समाप्ति तिथि**	संविदा नवीनीकरण आदेश दिनांक 05.08.2019 अनुसार प्रथम नवीनीकरण प्रभावशील होने की तिथि
1	डॉ. नीलेश कुमार तिवारी	प्रबंधन अध्ययनशाला	04.08.2018	05.08.2020	06.08.2019
2	डॉ. अनुरोध बनोदे	प्रबंधन अध्ययनशाला	04.08.2018	05.08.2020	06.08.2019
3	डॉ. भूपेन्द्र कुमार वर्मा	प्रबंधन अध्ययनशाला	04.08.2018	05.08.2020	06.08.2019
4	डॉ. रश्मि देवांगन	प्रबंधन अध्ययनशाला	04.08.2018	05.08.2020	06.08.2019
5	श्री तुलेन्द्र वर्मा	बी.एड. अध्ययनशाला	04.08.2018	05.08.2020	06.08.2019
6	श्री सुरेश कुमार	बी.एड. अध्ययनशाला	04.08.2018	05.08.2020	06.08.2019

निर्णय –

प्रस्ताव अनुसार संविदा नवीनीकरण को मान्य करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –8

डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक के संतान पालन अवकाश के संबंध में।

डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के द्वारा संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन दिनांक 19.06.2020 प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने लेख किया है कि वर्तमान में उनके दोनों बच्चे एन.टी.पी.सी. लारा पुसौर, रायगढ़ में है। महामारी के समय में बच्चों की देखभाल की आवश्यकता हो ध्यान में रखते हुये दिनांक 13.07.2020 से 08.01.2021 तक कुल 180 दिवस का संतान पालन अवकाश सह मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। संतान पालन अवकाश विश्वविद्यालय में अंगीकृत नहीं किये जाने के कारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सका है। अतः विश्वविद्यालय के क्रमांक / 349 / ब.वि.वि. / सा.प्रशा. / 2020 जगदलपुर, दिनांक 23 / 06 / 2020 के जवाब में पत्र दिनांक 24.06.2020 के साथ छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के द्वारा जारी वित्त निर्देश 52 / 2018 एवं छ.ग. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन के संबंध में छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

2 4 AUG 2020

महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन–पोषण हेतु सम्पूर्ण सेवा काल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के द्वारा जारी वित्त निर्देश 52/2018 एवं छ.ग. सिविल सेवा (अवकाश) नियम 2010 में संशोधन के संबंध में छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन के अधिसूचना दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 अधिसूचना/वित्त निर्देश को आगामी विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक में विधिवत् संतान पालन अवकाश अंगीकृत किये जाने और डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को उनके आवेदन अनुसार 180 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय –

संतान पालन अवकाश के संबंध में शासन के नियम को विश्वविद्यालय के नियमित महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अंगीकृत किया गया। नियमों के तहत डॉ. सुकृता तिर्की, सहायक प्राध्यापक, के बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है, की जांच/परीक्षण करने के बाद नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

विषय क्रमांक –9

डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में निदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की अनुमति के संबंध में :–

डॉ. आनंद मूर्ति मिश्रा, सहायक प्राध्यापक द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति हेतु दिनांक 16.06.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त आवेदन के जवाब में विश्वविद्यालय के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/351/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 24/06/2020 द्वारा प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन की एक प्रति एवं छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर/बाहर स्थित अन्य संस्थान/कार्यालय/विभाग में बाह्य सेवा (प्रतिनियुक्ति) हेतु छ.ग. शासन एवं/अथवा विश्वविद्यालय के नियम/आदेश आदि उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है। अपेक्षित दस्तावेज दिनांक 14.08.2020 तक उपलब्ध नहीं कराये जाने पर पुनः पत्र क्रमांक/509/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 14/08/2020 द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल में निदेशक के पद पर आवेदन के लिये प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन की एक प्रति, विज्ञापन अनुसार निर्धारित प्रपत्र में भरे गये आवेदन एवं छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर/बाहर स्थित अन्य संस्थान/कार्यालय/विभाग में बाह्य सेवा (प्रतिनियुक्ति) हेतु छ.ग. शासन एवं/अथवा विश्वविद्यालय के नियम/आदेश आदि दिनांक 17.08.2020 तक उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है।

निर्णय –

विश्वविद्यालय द्वारा अग्रेषित किये गये आवेदन की सूचना ग्रहण की गई। अग्रेषित किये गये आवेदन एवं आवश्यक समस्त दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, चयन होने पर नियमानुसार प्रतिनियुक्ति हेतु निर्णय के लिए प्रकरण पुनः कार्यपरिषद की बैठक में रखा जाये।

2 4 AUG 2020

विषय क्रमांक –10

सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में रिक्त शैक्षणिक पदों पर संविदा एवं अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में।

विभागीय टीप

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के विरूद्ध भरे एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

1 कुल स्वीकृत शैक्षणिक पद – 65

2 कार्यरत नियमित सह प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक – 06

3 स्वीकृत शैक्षणिक पदों के विरूद्ध कुल रिक्त पद – 59

4 कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता – 12

5 कार्यरत अतिथि शिक्षक / व्याख्याता – 23

6 संविदा सहायक प्राध्यापक / व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षक / व्याख्याता के अतिरिक्त रिक्त पद – 24

कार्यपरिषद की आपात बैठक दिनांक 10.08.2020 के विषय क्रमांक 02 में लिये गये निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में स्वीकृत शैक्षणिक पदों के रिक्त पदों की पूर्ति नियमित नियुक्ति होने तक संविदा एवं अतिथि शिक्षकों की भर्ती कर किया जाना है। संविदा एवं अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिये ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है, ताकि शैक्षणिक सत्र 2020–21 में अध्ययन अध्यापन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व भर्ती प्रक्रिया पूर्ण किया जा सके।

कृपया अवगत हो कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न कारणों से पूर्ण नहीं हो सकी है। पूर्व में रिक्त 59 शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती हेतु छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से प्रशासकीय अनुमति एवं वित्त विभाग से वित्तीय अनुमति प्राप्त किया जा चुका है। परंतु वर्तमान में कोविड–19 के कारण छ.ग. शासन वित्त विभाग द्वारा वित्त निर्देश 12 / 2020 में लेख किया है कि पूर्व में स्वीकृति एवं वित्तीय अनुमति प्राप्त जिन पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही / नियुक्ति पूर्ण नहीं की गई है, की वित्तीय अनुमति प्रस्ताव वार्षिक वित्तीय भार एवं पदों की पूर्ति कि आवश्यकता का औचित्य दर्शाते हुये पुनः वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त की जाये। उपरोक्तानुसार 59 शैक्षणिक पदों पर नियमित भर्ती हेतु लागू होने वाले आरक्षण नियमों के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अनुरोध पर छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग से विगत माह निर्देश प्राप्त हुये है। उपरोक्त कारणों से नियमित भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने में विलम्ब होने और वर्तमान में सत्र 2020–21 में विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है।

2 4 AUG 2020

भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदकों से छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित किये जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिये छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के आदेश क्रमांक 2830/स्था./व्यापम/2015 दिनांक 17.12.2015 द्वारा निर्धारित आवेदन/परीक्षा शुल्क अनुसार निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करते हुये लिया जाना प्रस्तावित है :–

1.	सामान्य वर्ग	– रूपये 350/–
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	– रूपये 250/–
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	– रूपये 200/–

निर्णय –

यथा प्रस्तावित सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –11

बस्तर विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक मिनी बस (50 सीटर) तथा परीक्षा/गोपनीय कार्य हेतु बोलेरो के स्थान पर एक बोलेरो पिकअप एवं माननीय कुलपति महोदय हेतु एक इनोवा क्रिस्टा वाहन छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 में विश्वविद्यालय के बजट प्रावधान अनुसार परीक्षा मद से नवीन वाहन क्रय करने की स्वीकृति प्रदाय करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विभागीय टीप :–

कार्यपरिषद के संलग्न कार्यवाही विवरण क्रमांक 1593/अका./ब.वि.वि./2018 जगदलपुर, दिनांक 25.06.2018 के अनुसार कार्यपरिषद की 20वीं बैठक दिनांक 19.06.2018 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के विषय क्रमांक 09 में बस्तर विश्वविद्यालय के 19वीं कार्यपरिषद की बैठक के विषय क्रमांक –6 के निर्णयानुसार बस्तर विश्वविद्यालय हेतु तीन नवीन वाहन (बोलेरो जिसका अनुमानित लागत राशि रू. 8.00 लाख, Innova Crysta जिसका अनुमानित लागत 15.00 लाख एवं 50 सीटर मिनी बस जिसका अनुमानित लागत 20.00 लाख) क्रय करने की अनुमति दी गई थी। उक्त तीनों नवीन वाहन परीक्षा मद से क्रय करने हेतु प्रकरण रखा गया था जिसके **निर्णयानुसार** उक्त तीनों वाहनों को परीक्षा मद से क्रय करने की स्वीकृति दी गई तथा प्रथमतः शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु पुनः स्मरण कराने का सुझाव दिया गया। भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए Gem के माध्यम से नियमानुसार क्रय प्रक्रिया प्रारंभ कर पुनः अनुमति के लिए शासन से पत्राचार कर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर विश्वविद्यालय की आवश्यकता को दर्शाते हुए अनुमति की प्रत्याशा में क्रय करने संबंधी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।

2 4 AUG 2020

उक्त अनुमोदन अनुसार विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1239/वाहन/ब.वि.वि./2018–19 जगदलपुर, दिनांक 23.05.2018 के द्वारा सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर को उक्त तीनों वाहन को परीक्षा मद से क्रय करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय करने के लिए स्मरण पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त पत्र के परिपालन में अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/160/62/व्हीआईपी/2019/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 29.05.2020 प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के परीक्षा मद से वाहन क्रय करने के लिए शासन से प्रशासकीय स्वीकृति हेतु नियम, प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय अपने स्तर पर परीक्षा मद की राशि से व्यय हेतु उपलब्ध नियम के संदर्भ में परीक्षण कर उचित निर्णय ले सकता है।

विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बस्तर विश्वविद्यालय के अध्ययनशाला में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक मिनी बस (50 सीटर) तथा परीक्षा/गोपनीय कार्य हेतु बोलेरो के स्थान पर एक बोलेरो पिकअप एवं माननीय कुलपति महोदय हेतु एक इनोवा क्रिस्टा वाहन भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार क्रय किया जा सकता है।

निर्णय –

परीक्षा मद से किये जाने वाले व्यय से संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार आगामी कार्यपरिषद में प्रस्ताव पुनः रखा जाये। यदि नियम नहीं है तो प्रथमतः नियमावली बनाये। तत्पश्चात् क्रय संबंधी कार्यवाही किया जाये।

विषय क्रमांक –12

वार्षिक परीक्षा सत्र 2019–20 हेतु संबंधित गोपनीय मुद्रणकर्ता को गोपनीय मद से जी.एस.टी. सहित राशि रू. 64,92,580/– (चौसठ लाख, बयानबे हजार, पॉच सौ अस्सी) का भुगतान किया गया है। प्रकरण सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय –

सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक –13

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई पूरक एजेण्डा।

2 4 AUG 2020

विषय क्रमांक –1

शासकीय एवं निजी कार्य से राज्य के बाहर एवं विदेश प्रवास की अनुमति संबंधी आवश्यक निर्देश अनुसार परिनियम 1 में संशोधन करने के संबंध में।

विभागीय टीप –

राज्यपाल के अवर सचिव, राजभवन, रायपुर के पत्र कमांक 3712/विविध/2020/सम/यू. रायपुर, दिनांक 21.07.2020 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के शासकीय एवं निजी कार्य से राज्य के बाहर एवं विदेश प्रवास की अनुमति संबंधी आवश्यक निर्देश प्राप्त हुये है। पत्र अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा राज्य के बाहर शासकीय एवं निजी दौरे करने, कर्तव्य अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति इत्यादि के लिए इस सचिवालय को उसी दिन या एक–दो दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत/ईमेल किये जाते है। ऐसी स्थिति में कुलपतियों का अवकाश स्वीकृति या मुख्यालय छोड़ने अनुमति दिये जाने/परीक्षण किये जाने में कठिनाईयॉ उत्पन्न होती है। समय पर स्वीकृति नहीं दिये जाने पर कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि विदेश प्रवास की अनुमति के भी आवेदन कुलाधिपति को सम्बोधित प्राप्त होते है।

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ने पत्र क्रमांक 3579/ 163/2018/38–2 दिनांक 10.02.2020 द्वारा विदेश प्रवास के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की टीप अनुसार विदेश प्रवास छानबीन समिति के दायरे में केवल शासकीय/कर्मचारी/अधिकारी तथा शासन के मंडल, निगम, आयोग के अधिकारियों के शासकीय विदेश प्रवास के प्रकरण है। कुलपति, कुलाधिपति के अधीनस्थ है। कुलपतियों द्वारा किये जाने वाले अधिकारिक यात्रा की अनुमति, मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति एवं अवकाश स्वीकृति के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने से राज्यपाल का सचिवालय से कुलपतियों के राज्य एवं देश के बाहर अधिकारियों प्रवास की अनुमति प्राप्त करने की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये विश्वविद्यालय परिनियम में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित करें।
2. तत्पश्चात उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ''कुलपतियों के राज्य के बाहर/विदेश प्रवास के किसी भी दौरे को निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जावेगा :–

(क) राज्य एवं राज्य के बाहर शासकीय/निजी प्रवास के मामले में,

(i) कुलपतियों को छ.ग. शासन द्वारा प्रावधानित आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि की पात्रता होगी।

2 4 AUG 2020

- कुलपतियों द्वारा एक या दो दिवस आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश एवं कर्तव्य अवकाश की सूचना राजभवन सचिवालय को भेजी जावेगी।
- तीन दिवस या उससे अधिक अवधि है तो आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश एवं कर्तव्य अवकाश की कुलाधिपति से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
- कुलपतियों द्वारा आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश एवं कर्तव्य अवकाश के साथ मुख्या से बाहर रहने की स्थिति में कुलाधिपति से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- कुलपतियों के अर्जित अवकाश एवं चिकित्सा अवकाश के आवेदन कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किये जावेंगे एवं इनका लेखा विश्वविद्यालय में संधारित किया जावेगा।

(ii) राज्य के बाहर सभी प्रवास कुलाधिपति की पूर्वानुमति से ही किए जायेंगे और ऐसा अनुमोदन मांगे जाने संबंधी पत्र कुलाधिपति सचिवालय को भेज जायेगा।

(अ) सामान्यत, ऐसे किसी प्रवास को आरंभ किये जाने से कम से कम 07 दिन पहले, और

(ब) आपात परिस्थितियों में जैंसे ही प्रवास कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाता है,

(iii) कुलाधिपति की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना कोई भी प्रवास आपात या असाधारण परिस्थतियों को छोड़कर नहीं किया जाएगा,

(iv) आपात अथवा असाधारण परिस्थतियों के मामले में, सूचना में ऐसी परिस्थितियों और बाध्यकारी कारणों का ब्यौरा होना चाहिए कि प्रवास के लिए पूर्वानुमति प्राप्त करना क्यों संभव नहीं हो पाया और ऐसी परिस्थितियों में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव कुलपति के प्रवास हेतु प्रस्थान से पहले कुलाधिपति सचिवालय को भेजा जाएगा।

(v) प्रवास के लिए अनुमति मांगते समय, अन्ततः निश्चित किए गए कार्यो और कार्यक्रमों, जिनके लिए अनुमति मांगी जा रही हो, का ब्यौरा इस आशय के पत्रों में स्पष्ट रूप से मदवार दर्शाया जाना चाहिए।

(vi) अपने गृह राज्य के बार–बार प्रवासों से बचा जाए अथवा सीमित रखा जाए।''

(ख) शासकीय/निजी विदेश प्रवास के मामले में,

(i) विदेश प्रवास करने के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन मांगे जाने संबंधी पत्र कम से कम छः सप्ताह पहले कुलाधिपति के सचिवालय में प्राप्त हों जाना चाहिए,

2 4 AUG 2020

(ii) विदेश प्रवास के दौरान कार्यो का ब्यौरा इस आश्य के पत्रों में स्पष्ट रूप से मदवार दार्शाया जाना चाहिए।

(iii) कुलपति केवल कुलाधिपति के विधिवत् अनुमोदन के बाद ही देश से बाहर जायेंगे।

(iv) कुलाधिपति द्वारा एक बार अनुमोदित कर दिए गए प्रवास के कार्यक्रम में सामान्यतः संशोधन नहीं किया जाएगा, किंतु असाधारण अथवा आपात परिस्थितियों में कार्यक्रम में किसी संशोधन के मामले में, संशोधित कार्यक्रम के लिए अनुमोदन यथाधीघ्र तथा किसी भी स्थिति में कुलपति के प्रस्थान से पूर्व कुलाधिपति सचिवालय को भेजा जाएगा।

(v) प्रवास के लिए कुलाधिपति का अनुमोदन मांगे जाने के बारे में पत्रों की प्रतियां राज्य सरकार एवं संबंधित विभाग को भी पृष्ठांकित की जाएं,

(vi) कुलपति, विदेश प्रवास करने से पूर्व विदेश अभिदाय विनियम अधिनियम के अंतर्गत अनापतित्त (एफ.सी.आर.ए. अनापत्ति) तथा राजैनिक अनापत्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त करेगा।

(ग) उपरोक्त ''क'' एवं ''ख'' के साथ–साथ निम्नलिखित जानकारी

(i) प्रायोजन संस्था का आमंत्रण/निमंत्रण पत्र,

(ii) प्रवास का वित्तीय भार कौन वहन करेगा,

(iii) विश्वविद्यालय की आवश्यकता की दृष्टि से प्रवास का प्रयोजन एवं औचित्य,

(iv) विगत पॉच वर्षो में किये गये विदेश दौरों का विवरण,

(v) प्रवास शासकीय है अथवा निजी,

(vi) स्वयं पूर्ण संक्षेपिका की 02 प्रतियॉ,

(vii) सेमीनार का नाम, विषय, स्थान व अवधि,

(viii) सेमीनार के लिए गृह मंत्रालय से एफ.सी.आर. एक्ट 1976 के अंतर्गत अनुमति लेना जरूरी है?,

उपरोक्त प्रकरण कार्यपरिषद के सूचनार्थ एवं परिनियम 1 की कंडिका 5 में उपरोक्तानुसार निर्देश प्रतिस्थापित किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है। परिनियम 1 में उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ अधिनियम 1973 की धारा .... के प्रावधानानुसार समन्वय समिति को प्रस्ताव कार्यपरिषद के निर्णयानुसार प्रेषित किया जाना है।

निर्णय –

परिनियम–1 में संशोधन हेतु प्रस्ताव समन्वय समिति को प्रेषित किया जाये।

2 4 AUG 2020

विषय क्रमांक 2 –

डॉ. संजय कुमार डोंगरे, सहायक ग्रंथपाल के प्रथम प्रोन्नति स्टेज–1 ए.जी.पी. रूपये 6000/– से स्टेज–2 ए.जी.पी. 7000/– में किये जाने की तिथि के संबंध में।

विभागीय टीप –

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के आदेश क्रमांक/505/ब.वि.वि./सा. प्रशा./ 2020 जगदलपुर, दिनांक 14/08/2020 के अनुसार डॉ. संजय कुमार डोंगरे, सहायक ग्रंथपाल के प्रथम प्रोन्नति स्टेज–1 ए.जी.पी. रूपये 6000/– से स्टेज–2 ए.जी.पी. 7000/– में किये जाने की तिथि के संबंध में पुनः विचार करने, अभिमत एवं परीक्षण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 19.08.2020 को कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1. डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
2. डॉ. ए. के. दीक्षित, प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष – कला संकाय, शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम, जिला–बीजापुर (ऑनलाईन गूगल मीट के माध्यम से)
3. डॉ. माधव पाण्डेय, पुस्तकाध्यक्ष, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर

समिति द्वारा डॉ. संजय कुमार डोंगरे, सहायक ग्रंथपाल को वर्ष 2017 में दिनांक 13.11.2017 को ओरियेंटेशन कोर्स पूर्ण होने की तिथि से प्रथम प्रोन्नति स्टेज–1 ए.जी.पी. रूपये 6000/– से स्टेज–2 ए.जी.पी. 7000/– में किया गया है, जिसे समिति परीक्षाणोपरान्त कार्यभार ग्रहण तिथि दिनांक 13.12.2010 से चार वर्ष पूर्ण होने की तिथि दिनांक 12.12.2014 से मान्य करने की अनुशंसा की गई है।

निर्णय –

समिति द्वारा की गई अनुशंसा को यथावत मान्य किया गया।

विषय क्रमांक 3 –

समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति दिये जाने के संबंध में।

विभागीय टीप –

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत कर्मचारियों जिन्हें नियुक्ति पश्चात् कार्यभार ग्रहण तिथि से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण हो चुकी है ऐसे तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के वित्त निर्देश 11/2008 दिनांक 28 अप्रैल 2008 के अनुसार समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति दिया जाना है। वर्तमान में निम्नलिखित कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया जाना प्रस्तावित है :–

2 4 AUG 2020

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति पश्चात् कार्यभार ग्रहण तिथि	10 वर्ष की सीमा उपरान्त देय क्रमोन्नति समयमान वेतनमान की तिथि	वर्तमान में प्राप्त मूल वेतन (7वे वेतनमान के अनुसार)	क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान मिलने पर मूल वेतन (7वे वेतनमान के अनुसार)
1	श्री दुष्यंत मेश्राम, सहायक ग्रेड–2	16.10.2007	16.10.2017	38400	44800
2	श्री विपुलपाल, प्रयोगशाला तकनीशियन	07.09.2009	07.09.2019	34100	39500
3	श्री शोभाराम नाग, प्रयोगशाला तकनीशियन	06.10.2009	06.10.2019	34100	39500
4	श्री प्यारे लाल यादव, डाटा एण्ट्री आपरेटर	03.11.2009	03.11.2019	36200	42200
5	श्री राम मरकाम, डाटा एण्ट्री आपरेटर	04.11.2009	04.11.2019	34100	39500
6	श्री प्रवीण द्विवेदी, प्रयोगशाला तकनीशियन	18.05.2010	18.05.2020	34100	39500

क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत करने बाबत् विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4672/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2019 जगदलपुर, दिनांक 22.04.2019 द्वारा प्रस्ताव संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर एवं पत्र क्रमांक 315/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 09.06.2020 एवं पत्र क्रमांक 521/ब.वि.वि./सा.प्रशा./2020 जगदलपुर, दिनांक 20.08.2020 द्वारा प्रस्ताव अपर संचालक, कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को प्रेषित किया गया है। छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय, रायपुर द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

निर्णय –

विश्वविद्यालय स्तर पर समिति गठित कर राज्य शासन के नियमों के परिप्रेक्ष्य में कर्मचारियों को समयमान वेतनमान/क्रमोन्नति की पात्रता का परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

24/8/2020
कुलपति
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

24/8/2020
कुलसचिव
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

24 AUG 2020